## <u> सार्वजिक सूचना</u>

निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चण्डीगढ ने दिनांक 27/12/2022 को ज्ञापन सं. ZP-1339/पीए (डीके) /2022/39023 के

जरिये अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग की स्थापना हेतु संशोधित भवन योजनाओं का अनुमोदन दिया। सिग्नेचर इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एसए प्रोपकान प्राइवेट लिमिटेड के

सहयोग से ग्राम धोरका, सेक्टर-95, गुरुग्राम

की राजस्व संपदा में 5.6875 एकड़ (2019 का लाइसेंस संख्या 73 दिनांक 04-07-2019 और 2021 का लाइसेंस संख्या 13 दिनांक 12-03-2021) के क्षेत्र में कॉलोनी विकसित की जा रही है। उक्त सैद्धांतिक अनुमोदन के अनुसार, निदेशक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हरियाणा, चंडीगढ़ ने कंपनी को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भवन योजना में उक्त संशोधन के संबंध में मौजूदा आवंटियों को सुचित करने का निर्देश दिया है और तदनुसार इसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। उक्त जानकारी के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति है, तो उसे इस नोटिस के

प्रकाशन की तारीख से ३० दिनों के भीतर वरिष्ठ नगर योजनाकार, गुरुग्राम के कार्यालय में भेजा जा सकता है। प्रदान की गई उक्त अनुमति को हमारी वेबसाइट अपॅलोड / होस्ट भी किया जा रहा है हस्ता/-

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सिग्नेचर इन्फ्रांबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-13वीं मंजिल, डॉ. गोपाल दास भवन, 28 बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001

हस्ता/-अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एसए प्रोपकॉन प्राइवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय-प्लॉट नंबर 114,

सेक्टर -44 गुड़गांव, हरियाणा -122002 दिनांकः 10-01-2023 जगह- गुरुग्राम